ॐ

विश्व हिन्दू परिषद

केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक–2 व 3 जुलाई, 2011

महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग, झूँसी, इलाहाबाद–211 019 (उत्तर प्रदेश)

इलाहाबाद (उ0प्र0)! विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री (सेक्रेटरी जनरल) डॉ0 प्रवीणभाई तोगड़िया ने एक वक्तव्य में बताया कि विश्व हिन्दू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 02, 03 जुलाई, 2011 को इलाहाबद में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तीन प्रस्ताव पारित किये गये, जो संलग्न है–

प्रस्ताव क्र. – 02

विषय – साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम–2011, 21वीं सदी का काला कानून

महर्षि सदाफल देव आश्रम, झूंसी, प्रयाग की पवित्र तपःस्थली में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद की प्रबन्ध समिति का यह स्पष्ट अभिमत है कि सोनिया जी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करने का लक्ष्य लेकर, हिन्दू समाज, हिन्दू संगठनों और हिन्दू नेताओं को कुचलने के लिए बनाया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा रोकने की आड़ में लाए जा रहे इस विधेयक के माध्यम से कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक हिंसा करनेवालों को संरक्षण देगी और इस हिंसा के शिकार रहे हिन्दू समाज तथा इस हिंसा के विरोध में आवाज उठानेवाले हिन्दू संगठनों का दमन करेगा। यह विधेयक न केवल संविधान की मूल भावना के विपरीत है अपितु राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर देश के संघीय ढांचे को भी ध्वस्त कर देगा। इस विधेयक से भारतीय समाज में परस्पर अविश्वास और विद्वेष की खाई इतनी बड़ी और गहरी हो जायेगी जिसको पाटना किसी के लिए भी सम्भव नहीं होगा।

एक समानान्तर व असंवैधानिक सरकार की तरह काम कर रही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बिना किसी जवाबदेही के सलाह की आड़ में केन्द्र सरकार को आदेश देती है। केन्द्र सरकार दासत्व भाव से उनके आदेशों को लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिस ड्राफ्ट कमेटी ने इस विधेयक को बनाया है, उसका चरित्र ही इस विधेयक के इरादे स्पष्ट कर देता है। इसके सदस्यों और सलाहकारों में हर्ष मंडेर, अनु आगा, तीस्ता सीतलवाड़, फराह नकवी जैसे हिन्दू विद्वेषी हैं तो सैयद शहाबुद्दीन, जॉन दयाल, शबनम हाशमी और नियाज फारुखी जैसे घोर साम्प्रदायिक और भारतविरोधी शक्तियों के हस्तक भी हैं। इनके द्वारा बनाए गए दस्तावेज इनके कर्तृत्व और चिन्तन के अनुसार ही हैं।

जिस समुदाय की रक्षा के बहाने से इस विधेयक को लाया गया है इसको इस विधेयक में 'समूह' का नाम दिया गया है। इस 'समूह' में कथित धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त दलित व वनवासी वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है। अलग–अलग भाषा बोलने वालों के बीच सामान्य विवाद भी भाषाई अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक विवाद का रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाद किस प्रकार के सामाजिक वैमनस्य को जन्म देंगे, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। यह विधेयक अनुसूचित जातियों व जनजातियों को हिन्दू समाज से अलग कर हिन्दू समाज को भी बांटना चाहता है। कुछ वर्गों में पारस्परिक असंतोष के बावजूद उन सबका यह विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान हिन्दू समाज के अंगभूत बने रहने पर ही हो सकता है। यह विधेयक मानता है कि बहुसंख्यक समाज हिंसा करता है और अल्पसंख्यक समाज उसका शिकार होता है जबकि भारत का इतिहास कुछ और ही बताता है। हिन्दू ने कभी भी गैरहिन्दुओं को सताया नहीं, उनको संरक्षण ही दिया है। उसने कभी हिंसा नहीं की, वह हमेशा हिंसा का शिकार हुआ है। क्या यह सरकार हिन्दू समाज को अपनी रक्षा का अधिकार भी नहीं देना चाहती ? क्या हिन्दू की नियति सेक्युलर बिरादरी के संरक्षण में चलने वाली साम्प्रदायिक हिंसा से कुचले जाने की ही है ? किसी भी महिला के शील पर आक्रमण होना, किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता। किन्तु यह विधेयक एक गैरहिन्दू महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो अपराध मानता है; परन्तु हिन्दू महिला के साथ किए गए बलात्कार को अपराध नहीं मानता जबकि साम्प्रदायिक दंगों में हिन्दू महिला का

शील ही विधर्मियों के निशाने पर रहता है। इस विधेयक में प्रावधान है कि ''समूह'' के व्यापार में बाधा डालने पर भी यह कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और वह मना कर देता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत वह हिन्दू अपराधी घोषित हो जायेगा। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का प्रचार भी अपराध माना गया है। यदि किसी बहुसंख्यक की किसी बात से किसी अल्पसंख्यक को मानसिक कष्ट हुआ है तो वह भी अपराध माना जायेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति के अपराधिक कृत्य का शाब्दिक विरोध भी इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा। अब अफजल गुरु को फांसी की मांग करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों के निष्कासन की मांग करना, धर्मान्तरण पर रोक लगाने की मांग करना भी अपराध बन जायेगा। दुनिया के सभी प्रबुद्ध नागरिक जानते हैं कि हिन्दू धर्म, हिन्दू देवी–देवताओं व हिन्दू संगठनों के विरुद्ध कौन विषवमन करता है। माननीय न्यायपालिका ने भी साम्प्रदायिक हिंसा की सेक्युलरिस्टों द्वारा चर्चित सभी घटनाओं के मूल में इस प्रकार के हिन्दू विरोधी साहित्यों व भाषणों को ही पाया है। गुजरात की बहुचर्चित घटना गोधरा में 59 रामभक्तों को जिन्दा जलाने की प्रतिक्रिया के कारण हुई, यह तथ्य अब कई आयोगों के द्वारा स्थापित किया जा चुका है। अपराध करने वालों को संरक्षण देना और प्रतिक्रिया करने वाले समाज को दण्डित करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। किसी निर्मम तानाशाह के इतिहास में भी अपराधियों को इतना बेशर्म संरक्षण कहीं नहीं दिया गया होगा।

भारतीय संविधान की मूल भावना है कि किसी आरोपी को तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाये; परन्तु इस विधेयक में आरोपी तब तक दोषी माना जायेगा जब तक वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न कर दे। इसका मतलब होगा कि किसी भी गैरहिन्दू के लिए अब किसी हिन्दू को जेल भेजना आसान हो जायेगा। वह केवल आरोप लगायेगा और पुलिस अधिकारी आरोपी हिन्दू को जेल में डाल देगा। इस विधेयक के प्रावधान पुलिस अधिकारी को इतना कस देते हैं कि वह उसे जेल में रखने का पूरा प्रयास करेगा ही क्योंकि उसे अपनी प्रगति रिपोर्ट शिकायतकर्ता को निरंतर भेजनी होगी। यदि किसी संगठन के कार्यकर्ता पर साम्प्रदायिक घृणा का कोई आरोप है तो उस संगठन के मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी हिंसा रोकने में असफल है तो राज्य का मुखिया भी जिम्मेदार माना जायेगा। यही नहीं किसी सैन्य बल, अर्द्धसैनिक बल या पुलिस के कर्मचारी को तथाकथित हिंसा रोकने में असफल पाए जाने पर उसके मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। सभी प्रावधानों का वर्णन इस प्रस्ताव में सम्भव नहीं है; परन्तु इतने से ही स्पष्ट है कि यह विधेयक अगर पास हो जाता है तो हिन्दुओं का भारत में जीना दूभर हो जायेगा। देशद्रोही और हिन्दूद्रोही तत्व खुलकर भारत और हिन्दू समाज को समाप्त करने का षडयन्त्र करते रहेंगे; परन्तु हिन्दू संगठन इनको रोकना तो दूर इनके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पायेंगे। हिन्दू जब अपने आप को कहीं से भी संरक्षित नहीं पायेगा तो धर्मान्तरण का कुचक्र तेजी से प्रारम्भ हो जायेगा। इससे भी भयंकर स्थिति तब होगी जब सेना, पुलिस व प्रशासन इन अपराधियों को रोकने की जगह इनको संरक्षण देंगे और इनके हाथ की कठपुतली बन देशभक्त हिन्दू संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जायेंगे।

भारतीय संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। केन्द्र सरकार केवल सलाह दे सकती है। इससे भारत का संघीय ढांचा सुरक्षित रहता है; परन्तु इस विधेयक के पारित होने के बाद अब इस विधेयक की परिभाषित 'साम्प्रदायिक हिंसा' राज्य के भीतर आंतरिक उपद्रव के रूप में देखी जायेगी और केन्द्र सरकार को किसी भी विरोधी दल द्वारा शासित राज्य में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार मिल जायेगा। इसलिए यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे को भी ध्वस्त कर देगा।

इस विधेयक के कुछ ही तथ्यों का विश्लेषण करने पर ही इसका भयावह चित्र सामने आ जाता है। इसके बाद आपातकाल में लिए गए मनमानीपूर्ण निर्णय भी फीके पड़ जायेंगे। हिन्दू का हिन्दू के रूप में रहना मुश्किल हो जायेगा। मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। यह विधेयक उनके कथन का नया संस्करण है। किसी राजनीतिक विरोधी को भी इसकी आड़ में कुचला जा सकता है और असीमित काल के लिए किसी भी जेल में डाला जा सकता है। विश्व हिन्दू परिषद इस विधेयक को रोलट एक्ट से भी अधिक खतरनाक मानती है। विहिप सरकार को चेतावनी देती है कि वह अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिन्दू समाज और हिन्दू संगठनों को कुचलने के अपने कुत्सित और अपवित्र इरादे को छोड़ दे। यदि वे इस

विधेयक को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हिन्दू समाज एक प्रबल देशव्यापी आन्दोलन करेगा। विहिप की भारत के राजनीतिज्ञों, प्रबुद्ध वर्ग व हिन्दू समाज तथा पूज्य संतों से अपील है कि वे केन्द्र सरकार के इस पैशाचिक विधेयक को रोकने के लिए सशक्त प्रतिकार करें।

प्रस्तोता :– डॉ0 सुरेन्द्र कुमार जैन, हरियाणा
दिनांक 03 जुलाई, 2011 अनुमोदक :– श्री हुकुमचंद सांवला, इन्दौर

प्रस्ताव क्र. – 3

विषय – साधु–सन्तों का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्थान

यह सर्वविदित है कि भारतीय जनमानस की, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, मठ–मंदिर, तीर्थ व संतों की महान परम्परा के प्रति, सदियों से अगाध श्रद्धा रही है। इन्हीं संत–महात्माओं से सांसारिक जीवन के साथ–साथ आध्यात्मिक जीवन में भी, हिन्दू समाज ऊर्जा प्राप्त करता रहा है। भारतीय संस्कृति के इन मानबिन्दुओं के कारण ही अनेक घातों–प्रतिघातों के बाद भी यह सनातन भारत अपने स्वरूप में यथावत विद्यमान है। विदेशी आक्रान्ताओं को भी यह भली प्रकार विदित था कि इन मानबिन्दुओं को जब तक भारतीय समाज से नष्ट नहीं किया जायेगा तब तक भारत पर आधिपत्य स्थापित करना असम्भव है। इन आक्रान्ताओं ने यह जानकर ही हिन्दू मठ–मंदिरों को नष्ट करने, गोहत्या तथा बलात् धर्मान्तरण जैसे बर्बर कार्य किये।

प्रबन्ध समिति का यह स्पष्ट मत है कि आज स्वतंत्र भारत में श्रीमती सोनिया के नेतृत्व में विदेशी षडयन्त्र एवं मानसिकता के आधार पर चलने वाली केन्द्र सरकार हमारे धार्मिक आस्था के केन्द्रों, धर्माचार्यों तथा हमारी संस्कृति को बदनाम करने पर तुली हुई है। इसी सरकार के कार्यकाल में देश के शीर्षस्थ धर्माचार्यों में से एक कांची शंकराचार्य जी पर हत्या का झूठा आरोप लगाकर बन्दी बनाया गया। उड़ीसा के वनवासियों में सेवा, शिक्षा व संस्कार केन्द्रों के माध्यम से धर्मान्तरण को रोक कर चर्च की काली करतूतों का भण्डाफोड़ करनेवाले स्वामी लक्ष्मणानन्द जी की, चर्चप्रेरित हत्यारों के द्वारा, नृशंस हत्या की गई। युगों–युगों से कोटि–कोटि हिन्दू समाज के आस्था का केन्द्र रामेश्वरम् रामसेतु को तोड़ने का दुष्चक्र रचा गया तथा राम के अस्तित्व को नकारने वाला शपथ पत्र प्रस्तुत कर हिन्दू समाज के विश्वास व श्रद्धा की हत्या करने की दुष्चेष्टा की गई। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के उपयोग की जमीन, राष्ट्रद्रोहियों को प्रसन्न करने के लिए, वापस लेने का कुचक्र रचा गया। अब भगवा आतंकवाद का नाम देकर झूठे आरोपों में साधु–संतों एवं हिन्दू संगठनों को फंसाने तथा संपूर्ण हिन्दू समाज एवं संत परम्परा को लांछित व अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है।

नैतिकता, शुचिता एवं पवित्रता भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ हैं, जिसको विदेशी यात्रियों मेगस्थनीज से लेकर ह्वेन इत्सांग, फाहयान और यहां तक की भारत की शिक्षा से नैतिकता एवं संस्कार के उच्छेदक मैकाले को भी स्वीकार करना पड़ा। लेकिन पराधीन मानसिकता के वशीभूत आज की केन्द्र सरकार भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार के रूप में प्रकट हुई।

स्वाधीनता के सुप्रभात में देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा शासन की बागडोर संभालते समय यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि जब तब हम एक–एक आंख के आँसू नहीं पोंछ देंगे, तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। किन्तु स्वाधीनता की साठोत्तरी यात्रा के बाद के दृश्य एक प्रकार से हर आँख को आँसू से भर देने वाला दिख रहा है। लोकराज तो लोकलाज के आधार पर चलते हैं, किन्तु वर्तमान सरकार उसी लोकलाज को तार–तार कर उसे हवाओं के हवाले कर चुकी प्रतीत होती है। बड़े–बड़े विशेषज्ञों के भी सिर चकरा देने वाले सत्ताधारियों के लाखों करोड़ रूपयों के दर्जनों घोटालों से विश्व–विरादरी में राष्ट्र की छवि को गहरा धक्का लगा है। और, सरकार के मुखिया हैं कि भ्रष्टाचार के महासागर पर अपने राजपाठ की मृगछाला बिछाये भोले बाबा बने बैठे हैं, बाबा रामदेव व अन्ना हजारे–जैसे व्यक्तियों द्वारा छेड़े गये अभियान भ्रष्टाचार के इसी दानव के दलन के लिए ही तो हैं। परन्तु इस सरकार का दुःसाहस इस हद तक बढ़ गया है कि 4 जून को भ्रष्टाचार के विरुद्ध बाबा रामदेव के नेतृत्व में शान्तिपूर्ण ढंग से किए जा रहे अनशनकारियों पर अर्द्धरात्रि को बर्बरतापूर्वक आक्रमण कर महिलाओं को अपमानित करने की दुष्चेष्टा की गई। सरकार के इस अमानवीय एवं अलोकतांत्रिक कृत्य से सम्पूर्ण राष्ट्र तथा संत समाज आहत व आक्रोशित है।

अतः विश्व हिन्दू परिषद की प्रबन्ध समिति का यह उपवेशन समाज से यह आह्वान करता है कि संगठित रूप से इस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, सत्ता मद में चूर सरकार के विरुद्ध संतों के सम्मान तथा भारत की संस्कृति, सभ्यता एवं सदाचार की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो तथा सरकार के कुटिल षड्यन्त्रों को नाकाम करे।

प्रस्तोता :– श्री देवेश उपाध्याय, मेरठ

दिनांक 03 जुलाई, 2011 अनुमोदक :– श्री नरपत सिंह शेखावत, जयपुर

प्रस्ताव क्र. 4

विषय – बाबा अमरनाथ यात्रा के स्वरूप में सरकारी हस्तक्षेप हिन्दुओं के लिए चुनौती

राष्ट्रीय एकता को परिपुष्ट करने वाली अमरनाथ यात्रा परम्परागत रूप से ज्येष्ठ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। विश्व हिन्दू परिषद का यह स्पष्ट अभिमत है कि इस पावन यात्रा की अवधि, तिथि या स्वरूप निर्धारित करने का, सरकार या अमरनाथ श्राईन बोर्ड को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार ईद या रमजान के दिनों को तय करने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है उसी प्रकार हिन्दू तीर्थयात्राओं या पर्वों के विषय में भी कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उनको यात्रा की व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है, उन्हें यात्रा के स्वरूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से श्राईन बोर्ड ने गत वर्ष यात्रा की अवधि 5 दिन कम करने का दुःसाहस किया। समाज के विरोध पर श्राईन बोर्ड ने इस वर्ष 60 दिन ही करने का आश्वासन दिया था। परन्तु इस वर्ष बोर्ड ने इसे 45 दिन करने का मनमाना निर्णय लिया, जिस पर हिन्दू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। सामाजिक संगठनों के आक्रोश को आन्दोलन के रूप में परिवर्तित होते हुए देखने पर सरकार को समाज की मांग स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें 29 जून से प्रारम्भ करने की हठधर्मिता छोड़ ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही सांकेतिक रूप में यात्रा प्रारंभ करवानी पड़ी तथा भविष्य में यात्रा की अवधि तय करने के लिए पूज्य धर्माचार्यों की एक समिति बनाने की बात स्वीकार करनी पड़ी। हिन्दू समाज को विहिप इस बात के लिए साधुवाद देती है कि उनके सामर्थ्य के विराट रूप के पूर्व अनुभव के कारण ही सरकार को उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी।

अमरनाथ श्राईन बोर्ड का निर्माण बाबा अमरनाथ की यात्रा की व्यवस्था के लिए ही किया गया; परन्तु दुर्भाग्यवश इसका चरित्र विकृत हो गया है। इसके 55 स्थायी कर्मचारियों में से 32 मुसलमान हैं। जिस बोर्ड का अध्यक्ष गैरहिन्दू नहीं हो सकता उसके कर्मचारी कैसे गैरहिन्दू रखे गए ? क्या किसी मुस्लिम या ईसाई यात्राओं और पर्वों की आयोजन समिति में वे किसी हिन्दू को स्वीकार कर सकते हैं ? विहिप की यह मांग है कि मा0 राज्यपाल को अविलम्ब गैर मुस्लिम कर्मचारियों को हटाकर उन स्थानों पर हिन्दुओं की भर्ती करनी चाहिए। इसी प्रकार 2008 के आन्दोलन के समय यह तय हुआ था कि श्राईन बोर्ड में 2 सदस्य बाबा अमरनाथ न्यास की सहमति से नियुक्त किये जायेंगे। आश्चर्यजनक रूप से ये स्थान अभी तक रिक्त हैं। मा0 राज्यपाल को न्यास से चर्चा करते हुए ये रिक्तियां अविलम्ब भरनी चाहिए।

विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक बाबा अमरनाथ यात्रा के महत्व और मार्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मुखर्जी समिति ने कुछ अनुशंसाएं दी थीं। बाद में जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय के मा0 न्यायाधीश प्रमोद कोहली ने 2005 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अमरनाथ यात्रा व्यवस्थित चले तथा भविष्य में पुनः कोई विवाद न खड़ा कर

सके, इसलिए विहिप मुखर्जी कमेटी और मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निम्नलिखित मांगे मा0 राज्यपाल से करती हैं :–

➢ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष 4–5 लाख यात्री आते हैं। वहां की स्थितियों का ही विचार कर उपरोक्त दोनों ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि यात्रा न्यूनतम 2 माह की होनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से यात्रा प्रारंभ करने की परम्परा को भी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। भविष्य में इन दोनों विषयों पर बोर्ड या किसी अन्य संस्थान को विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए।

➢ भारत के सभी धार्मिक बोर्डों में अमरनाथ श्राईन बोर्ड ही एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसके पास कोई कार्यालय नहीं है। इसलिए अमरनाथ श्राईन बोर्ड के लिए पहलगाम या श्रीनगर में स्थायी कार्यालय के लिए जमीन आबंटित करनी चाहिए।

➢ इस यात्रा का बेस कैम्प जम्मू में राज्य पर्यटक विभाग के अन्तर्गत रहता है। यह बोर्ड के अन्तर्गत ही होना चाहिए।

➢ यात्रियों के निवास व अन्य आवश्यकताओं के लिए यात्रा मार्ग में धर्मशालाओं और विश्रामगृहों का निर्माण होना चाहिए।

➢ बालटाल एवं पहलगाम के यात्रा मार्गों को 'अमरनाथ क्षेत्र' घोषित किया जाना चाहिए।

➢ कुछ राजनीतिक दलों के पहलगाम से जुड़े राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर बालटाल मार्ग से यात्रा पहले प्रारंभ कर देनी चाहिए क्योंकि वह मार्ग जल्दी तैयार किया जा सकता है।

➢ यात्रा की व्यवस्था के लिए पिट्ठुओं, बसों, पालकियों, घोड़ों आदि के लिए खुला टैण्डर आमंत्रित करना चाहिए। इस समय बोर्ड इनकी दरों का निर्णय मनमाने ढंग से करता है जिससे यात्रियों का जर्बदस्त शोषण होता है।

उपरोक्त सभी मांगों का अनुमोदन मुखर्जी समिति ने व मा0 न्यायाधीश प्रमोद कोहली ने अपने निर्णय में किया है। विहिप का यह विश्वास है कि हिन्दू समाज की भावनाओं और इन दोनों के निर्णयों का सम्मान करते हुए मा0 राज्यपाल इन मांगों को स्वीकार करेंगे जिससे इस पवित्र यात्रा के आयोजन के लिए भविष्य में कोई विवाद न खड़ा हो। यदि किसी के दबाव में इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो संपूर्ण देश का हिन्दू समाज इन मांगों के समर्थन में पहले की भांति खड़ा हुआ दिखाई देगा।

प्रस्तोता : श्री खेमचन्द जी शर्मा, दिल्ली

अनुमोदक : श्री कैलाश जी सिंहल, फरीदाबाद

दिनांक : 03 जुलाई, 2011